मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ. क्रमांक 6-2-78-3-एक, भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 1978—आश्विन 5, 1900

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर.
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा करना.

शासन के ध्यान में यह बात लायी गई है कि कुछ शासकीय सेवक लम्बे समय से निलंबित हैं. निलंबित शासकीय सेवक को विभागीय जांच में निर्दोष पाये जाने पर यदि उसका निलंबन पूर्णत: अनुचित पाया जाये तो उसे निलंबन काल का पूरा वेतन एवं भत्ता देना पड़ता है, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि जो शासकीय सेवक एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबन में है उनको सेवा में बहाल करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये निम्नलिखित कार्यप्रणाली अपनाई जाये :—

(1) जिन मामलों में शासकीय सेवकों के विरुद्ध जांच विभागीय जांच आयुक्त द्वारा की जा रही हो, वहां यदि शासकीय पक्ष के गवाहों का परीक्षण करने का कार्य पूरा हो गया हो तो राज्य सतर्कता आयुक्त से मत प्राप्त किया जाये कि क्या संबंधित शासकीय सेवक को सेवा में वापस लिया जा सकता है. राज्य सतर्कता आयुक्त से प्राप्त सिफारिश पर विचार कर संबंधित शासकीय सेवक को सेवा में बहाल करने के प्रश्न पर तुरन्त कार्यवाही की जाये.

(2) अन्य मामलों में आनुशासिक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी का मत प्राप्त किया जाये. यह मत भी शासकीय पक्ष के गवाहों के परीक्षण का कार्य पूरा होने के बाद प्राप्त किया जायेगा. प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आनुशासिक प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामला इस संबंध में विचार करने के लिये नीचे दिये अनुसार गठित समिति के समक्ष रखा जायेगा, जिस पर समिति अपनी सिफारिश एक सप्ताह के भीतर आनुशासिक प्राधिकारी को भेजेगी. संबंधित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा समिति की सिफारिश पर विचार कर निलंबित शासकीय सेवक को सेवा में बहाल करने की कार्यवाही तुरन्त की जायेगी.

(3) निलंबित शासकीय सेवकों के प्रकरणों पर विचार करने के लिये निम्न अनुसार समितियां गठित की जाती हैं.:—

1. जिन अधिकारियों की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है उनके लिये :—

(1)	वित्तीय आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	विभागीय सचिव,	सदस्य
(3)	विधि सचिव	सदस्य.

2. सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये :—

निलंबित शासकीय सेवक जिस श्रेणी का है उस श्रेणी में पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति .

3. जिन कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष या आयुक्त हों उनके लिये :—

(1) संबंधित विभागाध्यक्ष/आयुक्त,
(2) संबंधित विभाग के उप सचिव,
(3) विभागाध्यक्ष के ठीक नीचे का वरिष्ठतम अधिकारी/आयुक्त द्वारा मनोनीत कलेक्टर.

4. जिन कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी संभागीय स्तर के अधिकारी हों उनके लिये :—

(1) विभागाध्यक्ष द्वारा मनोनीत अपर या संयुक्त संचालक,
(2) संभागीय अधिकारी,
(3) संभागीय आयुक्त के विकास सहायक.

5. जिन कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी जिला स्तर के अधिकारी हों उनके लिये :—

(1) जिला स्तर का नियुक्ति प्राधिकारी,
(2) कलेक्टर द्वारा मनोनीत एक उप जिलाध्यक्ष.

6. जिन कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी जिला स्तर से नीचे के अधिकारी हों उनके लिये :—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी,
(2) जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक उप जिलाध्यक्ष.

2. शासन चाहता है कि संबंधित प्राधिकारी अपने अधीन कार्यरत निलंबित शासकीय सेवकों के प्रकरणों पर उपर्युक्त निर्णय के अनुसार तुरन्त कार्यवाही करें, तथा भविष्य में भी करते रहें. प्रशासकीय विभाग तथा संबंधित विभागाध्यक्ष को चाहिये कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा इस निर्णय के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./
एन. आर. कृष्णन,
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.